झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, विज्ञापन सं0–01/2016 के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अन्तर्गत **खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी** के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक–**10.09.2018** को प्रकाशित परीक्षाफल के आधार पर साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों का आयोग कार्यालय में **दिनांक–03.10.2018 से अभिलेख सत्यापन एवं दिनांक–04.10.2018 से साक्षात्कार कार्यक्रम** की तिथिवार पूर्ण विवरणी आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर **दिनांक–20.09.2018** से उपलब्ध रहेगा।

2. साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रमानुसार अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

3. अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call Letter) डाक द्वारा अलग से नहीं भेजे जायेंगे। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर **दिनांक–20.09.2018** से अपना **रौल नम्बर एवं जन्म तिथि** डालकर बुलावा पत्र (Call Letter) डाउनलोड कर सकते हैं। बुलावा पत्र डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाईन नम्बर **0651–2213009** पर कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

4. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान **ऑनलाईन आवेदन में अंकित प्रविष्टि के अनुरूप** निम्न प्रमाण पत्रों की **मूलप्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तीन सेटों** में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–

I. उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) अंकपत्र/प्रमाण पत्र।

II. इंटरमीडिएट अंक पत्र/प्रमाण पत्र।

III. विज्ञापन संख्या–**01/2016 की कंडिका–5** में निहित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हत्ता के संबंध में ऑनलाईन आवेदन में की गयी प्रविष्टि के अनुरूप अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।

IV. ऑनलाईन आवेदन में विज्ञापन संख्या–**01/2016 की कंडिका–10** में निहित प्रावधान के अनुसार आरक्षण दावे के समर्थन में किए गए प्रविष्टि के अनुरूप एवं **दिनांक–12.04.2018** को आयोग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग–I (BC-I)/पिछड़ा वर्ग–II (BC-II) कोटि के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार अर्थात् झारखण्ड राज्य अन्तर्गत उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाणपत्र की **मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का दावा अनुमान्य नहीं होगा।**

V. झारखण्ड सरकार के सरकारी कर्मी के रूप में अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु किए गए दावे के समर्थन में कार्यालय प्रधान अथवा नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की मूल प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा।

VI. दो पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटोग्राफ।

VII. एक वैध (Valid) पहचान पत्र यथा–आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट।

VIII. अभिलेख सत्यापन के दौरान उक्त कंडिकाओं में उल्लेखित सभी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

5. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।